प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप राव साहेब देशमुख

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 22/2007

अपीलार्थी - बिरझा बाई, पति स्वर्गीय कार्तिक राम आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी – ग्राम समोदा, पोस्ट करंजई, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी - 1. बेदुराम सिन्हा पिता – अज्ञात, निवासी – ग्राम चिखली, थाना मोहन नगर,जिला दुर्ग (छ.ग.)

द्वारा: गोवर्धन साहू पिता – चोवराम, निवासी – ग्राम करहीडीह,तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

व्यवसाय – ट्रैक्टर चालक,ट्रैक्टर क्रमांक C.G.-04/ZQ/4490 एवं ट्रॉली क्रमांक C.G.-04/ZQ/4491

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. गोवर्धन साहू पिता – चोवराम, निवासी – ग्राम करहीडीह,
तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

व्यवसाय – ट्रैक्टर मालिक] ट्रैक्टर क्रमांक C.G.-04/ZQ/4490 एवं ट्रॉली क्रमांक C.G.-04/ZQ/4491

3. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी
: मंडलीय प्रबंधक, मालवीय नगर, दुर्ग,
तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

बीमा कंपनी :ट्रैक्टर क्रमांक C.G.-04/ZQ/4490 एवं ट्रॉली

क्रमांक C.G.-04/ZQ/4491

मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के तहत विविध अपील

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से श्री संतोष यादव, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, यद्यपि उन्हें तामील कर दी गई है तथा उनकी ओर से वकालतनामा दायर किया गया है।

आदेश (मौखिक)

(दिनांक 24.08.2007 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील की अंतिम सुनवाई आज हुई।

2. **(2)** अपीलार्थी दिनांक 26-08-2006 को 10वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.), दुर्ग (आगे *एम.ए.सी.टी.*) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 132/2005 में पारित अधिनिर्णय से व्यथित है, जिसके द्वारा 55 वर्ष आयु के कार्तिक राम की आकस्मिक मृत्यु के लिए 2,20,000/- रुपये का प्रतिकर प्रदान किया गया।

(3) एम.ए.सी.टी. ने मृतक की मासिक आय 3,000/- रुपये प्रति माह आंकी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विधवा ही एकमात्र दावेदार थी, एम.ए.सी.टी. ने मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए ½ (आधा) कटौती की और वार्षिक आश्रितता हानि 1500 × 12 = 18,000/- रुपये आंकी। 11 का गुणक (मल्टीप्लायर) लागू करते हुए कुल आश्रितता हानि 18,000 × 11 = 1,98,000/-रुपये निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न पारंपरिक मदों के अंतर्गत 22,000/- रुपये की एकमुश्त राशि जोड़कर, एम.ए.सी.टी. ने कुल 2,20,000/- रुपये का प्रतिकर प्रदान किया।

(4) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि एम.ए.सी.टी. द्वारा प्रदान किया गया प्रतिकर बीमा कंपनी द्वारा जमा कर दिया गया है तथा दावेदार द्वारा प्राप्त भी कर लिया गया है।

(5) इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यही एक आधार उठाया गया है कि एम.ए.सी.टी. को मृतक की मासिक आय से व्यक्तिगत व्यय के लिए 1/3 (एक-तिहाई) की कटौती करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया।

(6) अंतिम सुनवाई के समय वाहन स्वामी, चालक एवं बीमा कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

(7) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने के पश्चात् मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। दुर्घटना की तिथि को दावेदार बिरझा बाई मृतक की विधवा होने के कारण उसकी एकमात्र आश्रित थी। मृतक की मासिक आय से उसके व्यक्तिगत व्यय हेतु 1/3 की कटौती करना न केवल विवेक का नियम है बल्कि मोटर यान अधिनियम, 1988 से संलग्न द्वितीय अनुसूची के भी अनुरूप है, जिसमें यह विशेष रूप से प्रावधानित है कि घातक दुर्घटना दावों के मामलों में निर्धारित प्रतिकर राशि से 1/3 की कटौती उस व्यय के विचार में की जाएगी, जो पीड़ित जीवित रहने की स्थिति में स्वयं के भरण-पोषण पर करता। मृतक के व्यक्तिगत जीवनयापन व्यय की कटौती विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। ***जनरल मैनेजर, कैरल राज्य सड़क परिवहन निगम, तिरुवनंतपुरम बनाम श्रीमती सुसम्मा थॉमस एवं अन्य,*** **एआईआर 1994 एससी 1631** में यह कहा गया कि यदि मृतक द्वारा आश्रितों व घरेलू व्यय पर किए गए व्यय के स्वरूप के संबंध में कोई साक्ष्य न हो, तो सकल आय से 1/3 की कटौती व्यक्तिगत जीवनयापन व्यय हेतु करना असामान्य नहीं होगा तथा शेष राशि को परिवार के सदस्यों पर व्यय की जाने वाली राशि माना जाएगा। इसी प्रकार ***सरला दीक्षित एवं अन्य बनाम बलवंत यादव एवं अन्य,*** **1996 ACJ 581** में भी सर्वोच्च न्यायालय ने आश्रितता हानि का आकलन करते समय सकल मासिक आय से 1/3 की कटौती व्यक्तिगत व्यय के लिए की थी। जहाँ परिवार में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

केवल पति-पत्नी हों, वहाँ यह आवश्यक नहीं कि पति अपनी मासिक आय का ½ केवल अपने व्यक्तिगत व्यय पर ही व्यय करे। कुछ राशि घरेलू रख-रखाव तथा अन्य आकस्मिक व्यय पर भी व्यय होती है, जो शेष जीवनसाथी से संबंधित होती है। अतः परिवार के अर्जक सदस्य की मासिक आय में न केवल उसके व्यक्तिगत व्यय सम्मिलित होते हैं बल्कि जीवनसाथी के व्यय तथा घरेलू व अन्य आकस्मिक व्यय भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए इस प्रकरण में एम.ए.सी.टी. द्वारा मृतक की मासिक आय से उसके व्यक्तिगत व्यय हेतु ½ की कटौती करना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि मासिक आय को तीन भागों में विभाजित किया जाना चाहिए—पहला मृतक के व्यक्तिगत व्यय हेतु, दूसरा अन्य जीवनसाथी के व्यक्तिगत व्यय हेतु तथा तीसरा घरेलू एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस दृष्टि से एम.ए.सी.टी. द्वारा मृतक की मासिक आय से आधी कटौती करना गलत था। मृतक के व्यक्तिगत व्यय को मासिक आय का 1/3 मानते हुए, मासिक आश्रितता हानि 3000 – 1000 = 2000/- रुपये होती है। इसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक आश्रितता हानि 24,000/- रुपये आंकी जाती है। 11 का गुणक लागू करने पर कुल आश्रितता हानि 2,64,000/- (24,000 × 11 = 2,64,000/-) रुपये होती है। इसमें विभिन्न पारंपरिक मदों के अंतर्गत दिए गए 22,000/- रुपये जोड़ने पर कुल प्रतिकर 2,86,000/- रुपये निर्धारित होता है।

(8) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। एम.ए.सी.टी. द्वारा प्रदान किया गया प्रतिकर बढ़ाकर 2,86,000/- रुपये किया जाता है। पूर्व में अदा की गई प्रतिकर राशि को समायोजित करने के पश्चात् शेष राशि प्रतिवादी क्रमांक 3/बीमा कंपनी द्वारा आज से दो माह की अवधि के भीतर अदा की जाएगी, अन्यथा बीमा कंपनी आवेदन की तिथि से वसूली तक 8.5% वार्षिक ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(9) इस आदेश की एक प्रति तत्काल एम.ए.सी.टी. को भेजी जाए। प्रतिकर जमा होने पर एम.ए.सी.टी. यह सुनिश्चित करेगा कि—

(A) दावेदार/अपीलार्थी को पुरस्कार की सूचना दी जाए तथा उसे अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाते की पासबुक के साथ व्यक्तिगत रूप से एम.ए.सी.टी. के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए;

(B) दावेदार की पासबुक बैंक द्वारा सत्यापित हो तथा उसमें दावेदार का फोटो संलग्न हो, और चेक जारी करने से पूर्व एम.ए.सी.टी. द्वारा भी उसका सत्यापन किया जाए;

(C) संबंधित बैंक को यह निर्देश दिया जाए कि एम.ए.सी.टी. के आदेश के बिना दावेदार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में राशि जारी न की जाए।

सही/-

दिलीप राव साहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**